

# फर्द अहकाम

हलदाम बनाम सुपाम

नाम न्यायालय Acm जामेर नु. जमड

केस संख्या 74/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2 12 24	<p>पञ्जवली उखुता अधिवक्ता वडी उपस्थित पञ्जवली का इक्लोकन किया गया। आदेश दिनांक 01/11/2024 के अनुसार वडी ने तहसीलदार रामपुरा-डाबडी के मुकाम रिपोर्ट के अनुसार वाड को विशेष नही किया है। केवल इक्लोकन ही दिए जा चुके हैं परन्तु वडी ने विशेष प्राप्ति-पत्र पेश नही किया है। मुक्ति तहसीलदार रामपुरा-डाबडी की मौक रिपोर्ट के अनुसार वडी ने तहसीलदार रामपुरा-डाबडी को वाड विशेष देणु प्राप्ति पत्र पेश किया है जो कि रिपोर्ट के साथ शामिल पञ्जवली है वडी ने मुताबिक रिपोर्ट अनुसार प्राप्ति पत्र न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। वडी वाड को कौन चलाता नही चाहेता है फलस्वरुप मुताबिक तहसीलदार रामपुरा डाबडी के अनुसार वडी का वाड, प्राप्ति वडी द्वारा प्राप्त प्राप्ति पत्र के अनुसार विशेष किया जाता है। प्रकरण की पञ्जवली विद्याल के आधार पर निर्णय की जाती है। पञ्जवली फैसल शुभा टोकल दायित्व पत्र है।</p>	

सहायक कलक्टर  
जामेर नु. जयपुर



82  
14मी  
मठ